

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05-01-2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अर्न्तगत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या 282747/XXX-2/2025-E-20917 दिनांक 17-03-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15-04-2025 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नीलम बडवाल अपर सहायक अभियंता	कृ.एवं भू.सं.अ. रायपुर	कृ.एवं भू.सं.अ. बडकोट	जनहित

श्रीमती नीलम बडवाल, अपर सहायक अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अर्न्तगत उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती बडवाल का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह०/-
(के०सी०पाठक),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक- कृ०नि० /2668 /स्था०/ स्था.पत्रा.कनि.-अ.सहा.अभि./2025-26 दिनांक 10/06/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्रीमती नीलम बडवाल, अपर सहायक अभियंता द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक को 07 दिन के अर्न्तगत नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें (पंजीकृत)।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्रीमती नीलम बडवाल अपर सहायक अभियंता की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण),
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05-01-2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अर्न्तगत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या 282747/XXX-2/2025-E-20917 दिनांक 17-03-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15-04-2025 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती प्रीति चुक्खा अपर सहायक अभियंता	कृ.एवं भू.सं.अ. बडकोट	कृ.एवं भू.सं.अ. रायपुर	जनहित

श्रीमती प्रीति चुक्खा, अपर सहायक अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अर्न्तगत उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती चुक्खा का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह०/-
(के०सी०पाठक),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक- कृ०नि० /2667 /स्था०/ स्था.पत्रा.कनि.-अ.सहा.अभि./2025-26 दिनांक 10/06/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्रीमती प्रीति चुक्खा, अपर सहायक अभियंता द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक को 07 दिन के अर्न्तगत नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें (पंजीकृत)।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर को इस निर्देश के साथ कि श्रीमती प्रीति चुक्खा, अपर सहायक अभियंता की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण),
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05-01-2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अर्न्तगत शासनादेश संख्या 282747/XXX-2/2025-E-20917 दिनांक 17-03-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15-04-2025 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मुकेश कुमार अपर सहायक अभियंता	कृ.एवं भू.सं.अ. बहादुराबाद	कृ.एवं भू.सं.अ. रुडकी	जनहित

श्री मुकेश कुमार, अपर सहायक अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अर्न्तगत उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह०/-
(क०सी०पाठक),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक- कृ०नि० /2671 /स्था०/ स्था.पत्रा.कनि.-अ.सहा.अभि./2025-26 दिनांक 10/06/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री मुकेश कुमार, अपर सहायक अभियंता द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादुराबाद।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादुराबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक को 07 दिन के अर्न्तगत नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें (पंजीकृत)।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी को इस आशय के साथ कि श्री मुकेश कुमार, अपर सहायक अभियंता की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण),
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05-01-2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अर्न्तगत तथा शासनादेश संख्या 282747/XXX-2/2025-E-20917 दिनांक 17-03-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15-04-2025 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अश्वनी कुमार अपर सहायक अभियंता	कृ.एवं भू.सं.अ. रुडकी	कृ.एवं भू.सं.अ. बहादुराबाद	जनहित

श्री अश्वनी कुमार, अपर सहायक अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अर्न्तगत उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण जनहित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह०/-
(के०सी०पाठक),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक- क०नि० 12672 /स्था०/ स्था.पत्रा.कनि.-अ.सहा.अभि./2025-26 दिनांक 10/06/25
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री अश्वनी कुमार, अपर सहायक अभियंता द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक को 07 दिन के अर्न्तगत नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें (पंजीकृत)।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बहादुराबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री अश्वनी कुमार, अपर सहायक अभियंता की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण),
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05-01-2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अर्न्तगत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या 282747/XXX-2/2025-E-20917 दिनांक 17-03-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15-04-2025 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गिरजा भूषण तेवाड़ी अपर सहायक अभियंता	कृ.एवं भू.सं.अ. धारी	सं.कृ.नि.कु.म.हल्द्वानी	निजी अनुरोध

श्री गिरजा भूषण तेवाड़ी, अपर सहायक अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अर्न्तगत उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री तेवाड़ी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह०/-
(के०सी०पाठक),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक- कृ०नि० 12669 /स्था०/ स्था.पत्रा.कनि.-अ.सहा.अभि./2025-26 दिनांक 10/06/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री गिरजा भूषण तेवाड़ी, अपर सहायक अभियंता द्वारा-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक को 07 दिन के अर्न्तगत नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें (पंजीकृत)।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी को इस आशय के साथ प्रेषित कि श्री गिरजा भूषण तेवाड़ी, अपर सहायक अभियंता की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण),
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05-01-2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अर्न्तगत तथा सहपठित शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या 282747/XXX-2/2025-E-20917 दिनांक 17-03-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025-E-33080 दिनांक 15-04-2025 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रवीन सिंह कनिष्ठ अभियंता	मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोडा	कृ.एव भू.सं.अ. कर्णप्रयाग	निजी अनुरोध

श्री प्रवीन सिंह, कनिष्ठ अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अर्न्तगत उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अर्न्तगत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह०/-
(के०सी०पाठक),
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक- कृ०नि० 12670 /स्था०/ स्था.पत्रा.कनि.-अ.सहा.अभि./2025-26 दिनांक 10/06/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री प्रवीन सिंह, कनिष्ठ अभियंता द्वारा-मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक को 07 दिन के अर्न्तगत नवीन तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें (पंजीकृत)।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि श्री प्रवीन सिंह कनिष्ठ अभियंता की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण),
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।